

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1277] No. 1277] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2018

का.आ. 1413 (अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन कम्प्यूटर न्यायिवज्ञान और डेटा माइनिंग प्रयोगशाला को भारत में कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायिवज्ञान- फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर के कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है।

[सं. 1(13)/2015-सीएलएफ़ई]

एस. गोपालकृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2018

S.O. 1413(E).— In exercise of the powers conferred by section 79A of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby notifies Computer Forensic and Data Mining Laboratory under Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi as Examiner of Electronic Evidence within India with the scope of Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive.

[No. 1(13)/2015-CLFE]

S. GOPALAKRISHNAN, Jt. Secy.